

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 मार्च, 1993

संख्या जे० डी०-93/सी० ए० पी०-3/428.—पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियन्त्रित क्षेत्र अधिनियम विकास नैर्बन्धन अधिनियम, 1963, की धारा 4 की उप-धारा (1) (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न नक्शों में दिखाये गये जिला पानीपत के गांव बहौली में स्थित तेल शोधक कारखाना की सीमा के बाहरी क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:—

अनुबन्ध

तेल शोधक कारखाना गांव बहौली के आसपास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची की ड्राइंग संख्या डी० टी० (पी०)-16/92, दिनांक 3 दिसम्बर, 1992 के साथ पढ़ा जाये।

अनुसूची

उत्तर:— बिन्दु “ए” अर्थात् गांव रेड़कला की आयत संख्या 57 के उत्तर-पश्चिमी कोने से शुरू होकर इसके बाद गांव रेड़कला की आयत संख्या 57 तथा 56 और गांव मुतक की आयत संख्या 289 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु “बी” तक, इसके बाद आयत संख्या 275 और 271 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु “सी” तक, इसके बाद आयत संख्या 271, 270, 269, 268, 267 और 266 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु “डी” तक, जहां यह गांव कुटाना की गांव सीमा के साथ मिलती है, उसके बाद गांव कुटाना की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु “ई” तक अर्थात् गांव कुटाना की आयत संख्या 16 का उत्तर पूर्वी कोना, इसके बाद गांव कुटाना की आयत संख्या 15, 14, 13, 12 तथा 11 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु “एफ” तक, जहां यह गांव डडलाना की पश्चिमी सीमा के साथ मिलती है। इसके बाद गांव डडलाना की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु “जी” तक, जहां यह गांव कुटाना की आयत संख्या 22 के उत्तर पूर्वी कोने और गांव डडलाना की आयत संख्या 63 के उत्तर-पश्चिमी कोने से मिलती है, इसके बाद गांव डडलाना की आयत संख्या 63, 62, और 61 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु “एच” तक, इसके आयत संख्या 61 और 67 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु “आई” तक अर्थात् गांव डडलाना की आयत संख्या 72 का उत्तर-पश्चिमी कोना इसके बाद गांव डडलाना की आयत संख्या 72 और 71 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु “जे” तक, जहां यह गांव बेगमपुर की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पूर्व : इसके बाद गांव डडलाना, की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु “के” तक अर्थात् जहां डडलाना बेगमपुर और राजापुर गांवों की सीमाओं के त्रिसंगम से मिलती है, इसके बाद गांव डडलाना की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर बिन्दु “एल”, तक, जो कि गांव डडलाना की आयत संख्या 115 का उत्तरी पूर्वी कोना है, इसके बाद गांव राजापुर की आयत संख्या 25 और 26 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ पूर्व की ओर बिन्दु “एम” तक अर्थात् आयत संख्या 26 का उत्तर पूर्वी कोना, इसके बाद आयत संख्या 26, 40, 44, 57, 63 और 73 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर, जहां यह बिन्दु “एन” पर गांव राजापुर की दक्षिणी सीमा से मिलती है, जो कि गांव राजापुर की आयत संख्या 73 का दक्षिण पूर्वी कोना है।

दक्षिण :— इसके बाद गांव राजापुर की दक्षिणी सीमा एवं (अधिसूचना संख्या 10 डी०पी०-82/3163, दिनांक 23 फरवरी, 1982 द्वारा घोषित नियन्त्रित क्षेत्र III पानीपत की सीमा) गांव बहौली की दक्षिणी पूर्वी सीमा और गांव बालजटा की पूर्वी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु “ओ” तक, अर्थात् बालजटा की आयत संख्या 144 की दक्षिण पूर्वी सीमा, इसके बाद आयत संख्या 144, 143, 142, 141,

140, 139 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "वी" तक, अर्थात् गांव बालजटा की आयत संख्या 139 का दक्षिणी पश्चिमी कोना, इसके बाद आयत संख्या 139, 127 और 114 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ उत्तर की ओर बिन्दु "क्यू" तक, इसके बाद आयत संख्या 100 और 101 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "आर" तक अर्थात् गांव बालजटा की आयत संख्या 101 का दक्षिणी पश्चिमी कोना ।

पश्चिम :— इसके बाद गांव बालजटा की आयत संख्या 101, 85, 72, 61 और 46 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु "एस" तक, अर्थात् गांव बालजटा की आयत संख्या 37 का दक्षिण पश्चिमी कोना इसके बाद आयत संख्या 36, 35, और 34 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दु "टी" तक, अर्थात् गांव बालजटा की आयत संख्या 34 का दक्षिणी पश्चिमी कोना, इसके बाद गांव बालजटा की आयत संख्या 34, 27, 15 तथा गांव रैडकला की आयत संख्या 165, 160, 144, 138, 116, 110, 87, 78 और 57 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दु "ए" तक अर्थात् प्रारम्भिक बिन्दु ।

प्रदीप कुमार,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ।

GOVERNMENT OF HARYANA

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 5th March, 1993

No. JD-93/CA-P-3/428.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, the Governor of Haryana hereby declares the area of outer side of the boundary of Oil Refinery at Village Baholi, district Panipat as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the controlled area around Oil Refinery village Baholi + be read with the Drawing No. DTP (P)-16/92 dated the 3rd December, 1992 :—

North :— Starting from point A i. e. the North-West corner of Rectangle No. 57 of village R. Kalan, thence towards East along Northern boundary of Rectangle No. 57 and 5 of village Rair Kalan and Rectangle No. 289 of village Munak upto point B; thence towards North along Western boundary of Rectangle No. 275 and 271 upto the point C; thence towards East along Northern boundary of Rectangle No. 271, 270, 269, 268, 267 and 266 upto point D where it meet village boundary of village Kutana; thence towards North along Western boundary of village Kutana upto point E i. e. North-Eastern corner of Rectangle No. 16 of village Kutana; thence towards East along Northern boundary of Rectangle No. 15, 14, 13, 12 and 11 of village Kutana upto point F where it meets Western boundary of village Dadlana; thence towards South along Western boundary of village Dadlana upto point 'G' where it meets North-Eastern corner of Rectangle No. 22 of village Kutana and North-Western corner of Rectangle No. 63 of village Dadlana; thence towards East along Northern boundary of Rectangle No. 63, 62 and 61 of village Dadlana upto point H; thence towards South along Eastern boundary of Rectangle No. 61 and 67 upto point I i. e. North-Western corner of Rectangle No. 72 of village Dadlana; thence towards East along Northern boundary of Rectangle No. 72 and 71 of village Dadlana upto point J, where it meets Western boundary of village Begumpur;

East :— Thence towards South along Eastern boundary of village Dadlana upto point K i. e. tri-junction of villages boundaries of Dadlana, Begumpur and Rajapur; thence towards South along Eastern boundary of village Dadlana upto point L which is the North-Eastern corner of Rectangle No. 115 of village Dadlana; thence towards East, along Northern boundary of Rectangle No. 25 and 26 of village Rajapur upto point M i. e. North-Eastern corner

of Rectangle No. 26; thence towards South along Eastern boundary of Rectangle No. 26, 40, 44, 57, 63 and 73, where it touches Southern boundary of village Rajapur at point N; which is South-Eastern corner of Rectangle No. 73 of village Rajapur.

South :— Thence towards West along Southern boundary of village Rajapur (also boundary of controlled area-III, Panipat, declared,—*vide* notification No. 10 DP-82/3163 dated 23rd February 1982), South-Eastern boundary of village Baholi and Eastern boundary of village Bal-Jatan upto point O i. e. the South-Eastern boundary of Rectangle No. 144 of Bal-Jatan; thence towards West along Southern boundary of Rectangle No. 144, 143, 142, 141, 140, 139 upto point P i. e. South-Western corner of Rectangle No. 139 of village Bal-Jatan; thence towards North along Western boundary of Rectangle No. 139, 127 and 114 upto point Q; thence towards West along Southern boundary of Rectangle No. 100 and 101 upto point R i. e. South-Western corner of Rectangle No. 101 of village Bal-Jatan;

West :—Thence towards North along Western boundary of Rectangle No. 101, 85, 72, 61 and 46 of village Bal-Jatan upto point S i. e. South-Western corner of Rectangle No. 37 of village Bal-Jatan; thence towards West along Southern boundary of Rectangle No. 36, 35 and 34 upto point 'T' i. e. the South-Western corner of Rectangle No. 34 of village Bal-Jatan; thence towards North along Western boundary of Rectangle No. 34, 27, 15 and 9 of village Bal-Jatan and Rectangle No. 165, 160, 144, 138, 116, 110, 87, 78 and 57 of village Rair-Kalan upto point A i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.